न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर १०५ /2025 राजस्व वाद

01. सोहन लाल पुत्र श्री गोवर्धन लाल ढोली आयु वयस्क निवासी— निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) — वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) — प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा , स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित :—
1. श्री मुकेश कुमार जैन —अधिवक्ता वादी
3. पेरोकार सरकार —अधिवक्ता—प्रतिवादी

दिनांक— 04.09.2025

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 4570/4385 रकबा 0.2529 हेक्टयर, आराजी नम्बर 4571/4385 रकबा 0.2530 हैक्टयर भूमि स्थित है , जो वादी के नाम पर दर्ज है। वादी की वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजी नम्बर 4570/4385 रकबा 0.2529 हेक्टयर आराजी नम्बर 4571/4385 रकबा 0.2530 हैक्टयर पर आने जाने का रास्ता जो कि आराजी नम्बर 372/1 रकबा 0.5059 हैक्टयर मे है, उक्त भूमि जो कि गै.मु. आबादी दर्ज होने से ग्राम विकास अधिकारी/संरपच ग्राम पंचायत थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा द्वारा उक्त रास्ते की आराजी जिसका रकबा 0.0378 हैक्टयर को रास्ते हेतु समर्पण की गयी। उक्त आराजी रास्ते हेतु समर्पण करने के बाद प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा आदेश कमांक/राजस्व/समर्पण/2024/1001—2 दिनांक 04 चार सितम्बर 2024 दो हजार चौबीस के आराजी नम्बर 372/1 मे से 0.0378 हेक्टयर भूमि को धारा 55 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत समर्पित भूमि सडक/रास्ता की सीमा मे आने से राज्य सरकार के पक्ष मे सिवाय चक (रास्ता) हतु दर्ज की जाने का आदेश जारी किया। प्रतिवादी द्वारा जारी उक्त आदेश की पालना नही होने से भू माफियो की नियत मे फितुर है, उक्त रास्ते की भूमि पर जबरन कब्जा करने व रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है। वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष कई बार उपस्थित होकर उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया, लेकिन बार बार टालमटोल किया जा रहा है व दिनांक 26 छब्बीस मई 2025 दो हजार पच्चीस को कहने पर मना कर दिया व सक्षम न्यायालय से दर्ज कराने की बात कही गयी। क्त रास्ते की भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज नही होने से भू माफिया उक्त भूमि पर कब्जा करने व रास्ता बंद करने पर आमादा है। इस कारण से प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि प्रतिवादी उक्त रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही होने देवे व उक्त रास्ते को सदेव खुलासा रखे। सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे आराजी नम्बर 372/1 रकबा 0.5059 हैक्टयर मे से 0.0378 हैक्टयर भूमि जो रास्ते हेतु समपर्ण की जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर रास्ते के रूप मे उक्त आराजी नम्बर 372/1 मे से उक्त 0.0378 हैक्टयर भूमि कम कर नवीन बटा नम्बर कायम कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे व उक्त रास्ते की नम्बर आराजी नम्बर 502 व वादी की आराजी नम्बर 4570/4385 के मध्य तरमीम करायी जाने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी सादिर फरमायी जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी के द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। वादी द्वारा वादी द्वारा प्रकरण मे दस्तावेजात पेश किये, जिन्हे प्रदर्शित किया गया।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए रास्ते हेतु समर्पणशुदा भूमि रास्ते के रूप मे दर्ज करने हेतु निवेदन किया।

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, आराजी नम्बर 372/1 रकबा 0.5059 हैक्टयर मे से 0.0378 हैक्टयर भूमि को रास्ते हेतु समर्पण की है, जिसे प्रतिवादी ने समर्पण हेतु स्वीकार की है , लेकिन राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद की है, इस कारण से उक्त समर्पण शुदा भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करायी जाना व रास्ते को अवरूद्ध नही करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य योग्य ठहरता है। अत एव

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर करेड़ा

॥ आदेश ॥

[illegible] कोटड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.) [illegible] आराजी नम्बर [illegible]

[illegible]

उपखण्ड अधिकारी [illegible]

कोटड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिक्री ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 104 /2025 राजस्व वाद
01. सोहन लाल पुत्र श्री गोवर्धन लाल ढोली आयु वयस्क निवासी– निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) —— वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत घोषणा , स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,188 आर.टि.एक्ट

———

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 04.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादी का वादपत्र स्वीकार कर सरहद गोमा का वाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ज्ञानगढ़ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 372/1 रकबा 0.5059 हैक्टयर मे से 0.0378 हैक्टयर भूमि जो रास्ते हेतु समपर्ण की जिसे प्रतिवादी द्वारा स्वीकार कर रास्ते के रूप मे उक्त आराजी नम्बर 372/1 मे से उक्त 0.0378 हैक्टयर भूमि कम कर नवीन बटा नम्बर कायम कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज की जावे व उक्त रास्ते की नम्बर आराजी नम्बर 502 व वादी की आराजी नम्बर 4570/4385 के मध्य तरमीम करायी जाने की डिक्री सादिर फरमायी जावे व प्रतिवादी उक्त रास्ते को अवरूद्व नही करे व खुलासा रखे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)